राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1137/2023

मनीष कुमार रांकावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, अजमेर।
3. तहसीलदार, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
4. जयप्रकाश भाटी, कनिष्ठ सहायक, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.03.2023
आदेश की दिनांक : 03.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री वीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को पूर्व स्थान पर ही आदेश दिनांक 22.11.2022 की पालना में कार्य करने दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद विरूद्ध तहसील पीसांगन, जिला अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि पीसांगन तहसील में मंत्रालयिक कर्मचारियों की संख्या कुल 8 है, जिसमें दो पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी, दो पद वरिष्ठ सहायक एवं चार पद कनिष्ठ सहायक के हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनों पद रिक्त हैं और अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक होने से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद विरूद्ध कार्य कर रहा है। पीसांगन तहसील में वरिष्ठ कार्मिक होने के आधार पर उसे पूरा रजिस्ट्रेशन का कार्य आदेश दिनांक 22.11.2022 के द्वारा दिया गया। निजी प्रत्यर्थी जो कि कनिष्ठ सहायक हैं और जनवरी, 2023 में उसे पदस्थापित किया गया, जो

नया कार्मिक है, फिर भी उसे आवश्यक रजिस्ट्रेशन कार्य दे दिया गया है, जो अभी उसके योग्य नहीं है। चूंकि वह कनिष्ठ सहायक है। अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक है और रजिस्ट्रेशन का कार्य नियमानुसार वरिष्ठ कार्मिक को भी दिया जाना चाहिए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने नियम विरूद्ध जाकर कनिष्ठ सहायक को रजिस्ट्रेशन का कार्य दिया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को पूर्व स्थान पर ही आदेश दिनांक 22.11.2022 की पालना में कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 21.11.2022 के द्वारा तहसील पुष्कर से तहसील पीसांगन स्थानान्तरण होकर पदस्थापित हुआ है और दिनांक 22.11.2022 के द्वारा पंजीयन शाखा का प्रभार निर्धारित किया गया और आदेश दिनांक 21.03.2023 के द्वारा पंजीयन शाखा का प्रभार अपीलार्थी के स्थान पर जय प्रकाश भाटी, कनिष्ठ सहायक को किया गया है। नियोक्ता का यह अधिकार होता है कि किस कार्मिक से कहां पर सेवाएं जनहित में ली जानी है। अपीलार्थी का पदस्थापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद विरूद्ध तहसील पीसांगन, जिला अजमेर में कार्यरत है। पीसांगन तहसील में वरिष्ठ कार्मिक होने के आधार पर उसे पंजीयन शाखा का प्रभार आदेश दिनांक 22.11.2022 के द्वारा दिया गया। जहां तक कनिष्ठ सहायक को पंजीयन शाखा का प्रभार दिए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में यह नियोक्ता का अधिकार है कि वह किस कर्मचारी की सेवाएं किस जगह जनहित में ली जानी हैं। इसमें किसी भी कार्मिक को एक ही पद पर/एक ही स्थान पर कार्यरत रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा भी ऐसा कोई ठोस प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि कनिष्ठ कार्मिक को

उससे अग्रिम पद की सेवाएं नहीं ली जा सकती। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)